84

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 690/तीन/2008 निगरानी – विरूद्व आदेश दिनांक 4–6–2008 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 384/2007–08 अपील

मनोजकुमार शुक्ला पुत्र मुनिप्रसाद शुक्ला
ग्राम रौरा तहसील रायपुर कर्चुलियान
जिला रीवा म०प्र० ––आवेदक

विरूद्व

1– सरपंच ग्राम पंचायत पहडिया
तहसील रायपुर कर्चुलिया जिला रीवा

2– मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)

(अनावेदक–2 के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 7–08–2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 384/2007–08 अपील में पारित आदेश दिनॉक 4–6–2008 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि सरपंच ग्राम पंचायत पहड़िया ने

तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान को अवगत कराया कि आवेदक ने ग्राम पहड़िया की सरकारी भूमि सर्वे कमांक 357 के अंश रकबा 0.243 है. पर अतिक्रमण करके मकान निर्माण किया है इसलिये कार्यवाही की जावे। तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान ने प्रकरण कमांक 35 अ–68 /2005–06 पॅजीबद्व किया तथा हलका पटवारी एंव राजस्व निरीक्षक से स्थल की जांच एंव सीमांकन कराकर अतिक्रमण पाये जाने से आदेश दिनांक 24–4–2006 पारित करके आवेदक पर रू. 1500/– अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये बेदखली के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान ने प्र0क0 6 अ–68/ 2005–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 26–12–2007 से अपील निरस्त कर दी। अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान के आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 384/2007–08 अपील में पारित आदेश दिनॉक 4–6–2008 से अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक एंव अनावेदक कमांक–2 के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक क–1 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक एंव अनावेदक क–2 के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि

सरपंच ग्राम पंचायत पहड़िया ने तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि आवेदक व्दारा ग्राम पहड़िया की सरकारी भूमि सर्वे कमांक 357 के अंश रकबा 0.243 है. पर अतिक्रमण करके मकान निर्माण किया है। तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक के तत्वाधान में सीमांकन दल गठित कर शासकीय भूमि सर्वे कमांक 357 का सीमांकन कराया है जिसमें पाया गया कि आवेदक ने इस शासकीय भूमि के कुल रकबा 5–479 हैक्टर के अॅश भाग 30X25/1/2 (तीस वाई साढ़े पच्चीस) फुट भूमि पर मकान बनाकर अतिक्रमण किया है । आवेदक को तहसीलदार ने बचाव प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया है किन्तु आवेदक यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने शासकीय भूमि सर्वे कमांक 357 के तीस वाई साढ़े पच्चीस फुट भू भाग पर मकान बनाकर अतिक्रमण नहीं किया है जिसके कारण तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान ने प्रकरण कमांक 35 अ–68 /2005–06 में आदेश दिनांक 24–4–2006 पारित करके आवेदक पर रू. 1500/– अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये बेदखली के आदेश दिये है। अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान ने तहसीलदार के प्रकरण का परीक्षण कर विधिवत् कार्यवाही होना पाने के कारण एंव आवेदक व्दारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करना प्रमाणित होने से तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान के आदेश दिनांक 24–4–2006 में हस्तक्षेप नहीं किया है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, रीवा संभाग ने तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान एंव अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान व्दारा पारित आदेशों में

हस्तक्षेप नहीं किया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 384/2007–08 अपील में पारित आदेश दिनॉक 4-6-2008 में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 384/2007–08 अपील में पारित आदेश दिनॉक 4-6-2008 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर